न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्याः– 82/दावा/2015

1. सुखा आ0 माधो आयु 52 वर्ष जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. काली बाई पत्नि रघुनाथ आयु 60 वर्ष जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. रामकन्या पुत्री रघुनाथु आयु 40 वर्ष जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. जीवन पिता रूपा जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. शांति पुत्री रूपा जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. गोपी आ0 रूपा जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. नन्दू पत्नि औकार जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. लादया आ0 औकार जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. रामलाल आ0 औकार जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
10. शोजी आ0 मोती जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
11. ओमप्रकाश आ0 मोती जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
12. राजपाल आ0 मोती जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
13. मोडीबाई पत्नि श्री मोती जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
14. मूति पुत्री श्री मोती जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
15. सुगना पुत्री श्री मोती जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
16. तस्वीर पुत्री श्री मोती जाति बैरवा निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

प्रतिवादी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 23/10/2020

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी गण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 701 रकबा 9 बिस्वा, 718 रकबा 17 बिस्वा, 736 रकबा 13 बिस्वा, 737 रकबा 1 बीघा, 758 रकबा 18

स्वा कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी विस्थित है। भूमि की नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर वादीगण हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के अलावा उक्त भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा काश्त नही रहा है। वादीगण के पूर्वज ताजिन्दगी उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज रहे है ओर उनके देहान्त के बाद से वादीगण खेती करते चले आ रहे है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड में सरकार राहिन व मु.बि.क. का इन्द्राज गलत दर्ज कर रखा है। वादीगण के पूर्वजों ने न तो उक्त भूमि को सरकार के रहन रखा है और न ही सरकार ने उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम रहन रखी है। वादीगण उक्त भूमि के खातेदार है ओर खातेदार की हैसियत से भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज सरकार राहिन व मु.बि.क. का इन्द्राज गलत व अवैध होने से वादीगण उसे निरस्त करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में उक्त गलत इन्द्राज के कारण वादीगण न तो कृषि ऋण वगेरह ले पा रहे है और न ही सरकार की योजनाओं का फायदा उठा पा रहे है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज सरकार राहिन व मु.बि.क. का अंकन अवैध व अशुद्व होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे थे और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे उनके देहान्त के बाद से वादीगण उक्त भूमि पर स्वयं को खातेदार प्रकट करते हुये शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी उक्त भूमि के स्वामी बन चुके है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रेकार्ड में से दर्ज हो रहे सरकार राहिन व मु.बि.क. के अंकन को विलोपित करवाकर खातेदार का अंकन करवावे। वादीगण ने दिनांक 30.06.2015 को तहसीलदार साहब हिण्डोली से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकार्ड से सरकार राहिन व मु.बि.क. का अंकन हटाये जाने का अनुरोध किया तो उन्होने इन्द्राज काफी पुराना होने के कारण न्यायालय से आदेश लाये बिना दर्ज इन्द्राज का हटाने से इन्कार कर दिया और भूमि पर से बेदखल करने की धमकी देने वादीगण को दिनांक 30.06.2015 को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वाद में भूमिधारी राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया है जिनके विरूद्व वाद दायरी से पूर्व 2 माह अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने से वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का हो गया है। वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकों स्वीकार किया जाकर वाद का विचारण किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि ग्राम बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अन्तर्गत अवधि मध्य, निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की राजस्व रेकार्ड से सरकार राहिन व सा.देह मु.बि.क. का अंकन विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार (घोषित) दर्ज किया जावे एवं वादीगण को भूमि पर से बेदखल नही करने हेतु प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 अस्वीकार है गलत दर्ज करने का कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नही किया है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार हैं। वाद पत्र की चरण संख्या 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है एवं कानूनी है। वाद पत्र की चरण संख्या 6 कानूनी है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण सख्या 8 लगायत 10 कानूनी है। वाद पत्र के साथ मात्र चालू जमाबंदी लगाई है। सरकार राहिन किस जमाबंदी प्रथम बार दर्ज हुआ संलग्न नही किये। बिना किसी आधार के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टि को नही हटाया जा सकता। अतः वाद पत्र निरस्त फरमानें की कृपा करें।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र सुखा बैरवा PW 1 पेश किया। नकल जमाबंदी संवत 2012 से 2015 व खसरा मिलान पेश किये है साथ ही अपने वाद पत्र के समर्थन में विनिर्णय जगन्नाथ बनाम सरकार निर्णय दिनांक 18.05.2016 व शब्बीर मोहम्मद बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 06.06.2011 व श्रीमति धूली बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 10.02.2016 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की छायाप्रतियां पेश की है।

हमने प्रकरण पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बडगांव में खसरा नम्बर 701, 718, 736, 737, 758 कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा पर सरकार रहिन व मु0बि0क0 का इन्द्राज गलत हो रहा है। वादीगण के पूर्वजों ने न तो उक्त भूमि को सरकार के रहन रखा है और ना ही सरकार ने उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम रहन रखी है। वादीगण उक्त भूमि पर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त अंकन अवैध व अशुद्व होने से निरस्त योग्य है साथ ही वादीगण कब्जा मुखालफाना व कब्जा काश्त होने से कानूनन खातेदार बन चुके है। रहन सरकार व म0बि0क0 का अंकन विलोपित कर वादीगण को खातेदार अंकित किया जावें।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, के आधार पर दावा वादीगण पूर्ण रूप से साबित होना पाया जाता है। वादीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे

अतः बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार बन चुके है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत विनिर्णय पूर्णतयाः चस्पा होता है। उपरोक्त तथ्यों से वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 701, 718, 736, 737, 758 कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जमाबंदी संवत 2068 से 2071 वाके ग्राम बडगांव पटवार मण्डल बडगांव में दर्ज रहिन सरकार व मु0बि0क0 के इन्द्राज को विलोपित कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहिन सरकार व मु0बि0क0 के इन्द्राज को राजस्व रिकोर्ड में से विलोपित किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली